न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 216/2022

सरकार बनाम रिजवान आदि।

अं० धारा– 354 क भा०दं०सं०

व 7/8 पोक्सो अधिनियम व 11

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम।

मु०अ०सं० 137/2021

थाना– सिंभावली, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 25.05.2022

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण रिजवान एवं आरिफ जेरे हिरासत उपस्थित आये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण रिजवान एवं आरिफ के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 354 क व पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 एवं बाल विवाह अधिनियम की धारा 11 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण रिजवान एवं आरिफ के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 09.06.2022 को पेश हो।

दिनांकः– 25.05.2022

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

Shweta

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2022.05.31 12:49:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 216/2022

सरकार बनाम रिजवान आदि।

अं० धारा– 354 क भा०दं०सं०

व 7/8 पोक्सो अधिनियम व 11

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम।

मु०अ०सं० 137/2021

थाना– सिंभावली, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण रिजवान एवं आरिफ को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 18.01.2021 को समय करीब सुबह 09.00 बजे बस्थान रेलवे फाटक हिम्मतपुर रोड, थाना सिंभावली, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० एस उम्र करीब 17 वर्ष के साथ गलत आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 354 क के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी की अवयस्क पुत्री का व्यपहरण कर उसके ऊपर लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री का उसकी सहमति के बिना सहअभियुक्त आसिफ के साथ निकाह कराया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 25.05.2022

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 25.05.2022

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।